13.4.18	पत्रावली पेश हुई. वकील वादी/प्रतिवादी उपस्थित । पत्रावलियां अधिक होने से प्रकरण में सुनवाई नहीं हो सकी । पत्रावली सुनवाई दिनांक 3.5.18 को पेश हो ।	रामरतन
3/5/18	पत्रावली लोक अदालत कैम्प कोटड़ादीपसिंह मे पेश हुई। वादीगण उपस्थित तथा विवादित आराजी के सहखातेदार रामरतन एवं पार्वती बाई उपस्थित।	(सरपंच कोटड़ादीपसिंह) [signature] रामरतन नि.अ. पार्वतीबाई

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व अहकाम हुक्म की जारी
	वादनीगण द्वारा ग्राम कोटडाईसिंह स्थित ख०नं० 284, 290, 1339, 1367 1370, 1371 उत्तर के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सन्ता के स्थान पर संतोष तथा लच्छया के स्थान पर कमला अंकित कर राजस्व रिकॉर्ड दुरूस्त किये जाने का निवेदन किया। वादीगण द्वारा वांछित रिलीफ के क्रम मे पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात एवं बयान सरकार के अवलोकन उपरान्त वादीगण का नाम संतोष एवं कमला होना जाहिर आता है। ग्राम पंचायत द्वारा जारी तस्दीक प्रमाण पत्र मे भी संतोष/सन्ता एवं कमला/लच्छया को दोनो नामो से जानना प्रमाणित किया है। अतः वाद वादीगण स्वीकार योग्य है। प्रकरण मे वादीगण का नाम दुरूस्त करते हुए डिक्री जारी की जावें। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो। निर्णय मजमे आम मे खुले इजलास सुनाया गया। [signature] ([illegible])	

Scanned by CamScanner

डिक्री मुकदमा

(आ 20 रुल 6–7 जाब्ता दीवानी)

आज अदालत न्यायालय सहायक कलक्टर एवं कार्यपालक मजिस्ट्रेट दीगोद जिला कोटा लोक अदालत केम्प कोटडादीपसिंह

उनवान

1. संतोष उर्फ सन्ता पुत्री मांग्या पत्नी तोलाराम जाति गूर्जर निवासी नयांगाव उर्फ हरिपुरा तहसील दीगोद जिला कोटा
2. कमला उर्फ लच्छया पुत्री मांगीलाल पत्नी बजरंगलाल जाति गूजर निवासी कापरेन तहसील के0 पाटन जिला बूंदी

–वादीगण

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार दीगोद जिला कोटा

–प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 88–89 आरटीएक्ट

मिसल नम्बर– 19/18

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रू–ब–रू मुझ तारामती वैष्णव आर.ए.एस. बहाजिरी मिनजानिब मुद्दई रुबरु मिनजानिब मुद्दालयह लोक अदालत में पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि " वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर आदेश दिये जाते है कि ग्राम कोटडादीपसिंह स्थित ख0नं0 284 रकबा 0.54 हे0, ख0नं0 290 रकबा 1.46 हे0, ख0नं0 1339 रकबा 0.26 हे0, ख0नं0 1367 रकबा 0.36 हे0, ख0नं0 1370 रकबा 0.74 हे0, ख0नं0 1371 उत्तर रकबा 0.11 हे0 कुल किता 6 रकबा 3.47 हे0 भूमि के राजस्व रिकॉर्ड में अंकित नाम सन्ता पुत्री मांग्या के स्थान पर संतोष उर्फ सन्ता पुत्री मांग्या तथा लच्छया पुत्री मांग्या के स्थान पर कमला उर्फ लच्छया पुत्री मांग्या दर्ज किया जावें।" तदनुसार अन्तिम डिक्री लोक अदालत केम्प कोटडादीपसिंह में जारी की जाती है।

मेरे दस्तखत व मोहर अदालत से आज दिनांक 03.05.2018 को जारी किया गया।

मिलान स्टाम्प अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
महन्ताना वकील	0	0	महन्ताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

खर्चा उभय पक्ष अपना–अपना वहन करेंगे।

(तारामती वैष्णव)
सहायक कलक्टर,
दीगोद

Scanned by CamScanner